# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

फोन नं: 0141–2712376 Email ID - rajssa_pfe@yahoo.co.in

क्रमांकः– रास्कूलशिप/जय/औ.शि./दिशा–निर्देश/CSG/2018–19/ दिनांकः–

## दिशा–निर्देश सत्र 2018–19
## कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (COMPOSITE SCHOOL GRANT)

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह–शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपस्करों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य– सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

यह अनुदान डाइस डाटा 2017–18 के अनुसार राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है, जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केजीबीवी/संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते है। जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का हस्तान्तरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों हेतु पीईईओ विद्यालय की प्रबंधन समिति के बैंक खाते में तथा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु सीधे ही विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी साथ ही कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में विद्यालयवार राशि की सूची प्रेषित की जायेगी। जिला कार्यालय द्वारा जारी की गई भुगतान स्वीकृति को शाला दर्शन व शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें। अतः निम्नानुसार वितरित किया जा कर शत–प्रतिशत लक्ष्य अर्जित करें।

### वित्तीय प्रावधान :

| S.No. | Number of students in School | School Grant |
|---|---|---|
| 1 | 1-15 | Rs. 12500 (Including atleast Rs. 1250 for Swachhta Action Plan) |
| 2 | 16-100 | Rs. 25000 (Including atleast Rs. 2500 for Swachhta Action Plan) |
| 3 | 101-250 | Rs. 50000 (Including atleast Rs. 5000 for Swachhta Action Plan) |
| 4 | 251-1000 | Rs. 75000 (Including atleast Rs. 7500 for Swachhta Action Plan) |
| 5 | Above 1000 | Rs. 100000 (Including atleast Rs. 10000 for Swachhta Action Plan) |

नोट :– उपरोक्त तालिका के क्रं.सं. 1 से 5 तक की विस्तृत सूची पृथक से संलग्न है।

नोट :– मर्ज हुए विद्यालय एवं शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को यह अनुदान देय नहीं होगा। जिसका ध्यान डीपीसी द्वारा रखा जायेगा।

## विद्यालय स्तर :–

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है –

- विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।
- दरी पट्टी/दरी।
- श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग–रोगन/ ग्रीन बोर्ड/ आदमकद दर्पण/ कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण।
- चॉक, डस्टर।
- परीक्षा संबंधी स्टेशनरी।
- पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यय।
- एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
- विज्ञान/गणित किट सामग्री के प्रतिस्थापन पर व्यय।
- विज्ञान व गणित विषय के ई–कंटेन्ट क्रय कर कल्प लैब हेतु उपलब्ध करवाना।
- प्रतियोगिताओं का आयोजन/ खेल सामग्री /उपलब्धि प्रमाण–पत्र मुद्रण।
- अग्निशमन यन्त्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
- शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने का किराया।
- प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु ।
- इन्टरनेट संबंधी कार्य।
- वार्षिक टूट–फूट, मरम्मत व सौंदर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय/मूत्रालय व अन्य व्यवस्थाएं)।
- शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग
- अन्य उपयोज्य सामग्री यथाः झाड़ू, मटका, बाल्टी, मग आदि।
- छात्र हित में अन्य आवर्ती मदों हेतु।

नोटः– उक्त कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जावें। अति–आवश्यक होने पर परिषद् की पूर्वानुमति से उक्त राशि में बचत होने पर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा।

## विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान :

कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट में 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग निम्न कार्यो हेतु ही किया जा सकेगा :

- विद्यालय के शौचालय /मूत्रालयो का नियमित उपयोग एंव रख –रखाव ।
- शौचालय /मूत्रालयो की साफ–सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा ब्रश ऐसिड,टायलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिए ।
- MDM से पूर्व व शौचालय उपयोग उपरान्त छात्र –छात्राओं को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करने के लिए।
- शौचालय /मूत्रालय की माईनर रिपेयर करवाने के लिए।
- शौचालय /मूत्रालय में रनिग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखाने के लिए
- बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
- कक्षा–कक्षो एवं विधालय परिसर में रखने के लिए कचरा प्रात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
- बालिका शौचालय के साथ इन्सीनरेटर लगाने /निर्माण के लिए।
- पेयजल स्त्रोत को ठीक करवाने के लिए ।

## कार्य प्रक्रिया :

1. सर्वप्रथम एसएमसी अपने विद्यालय की वार्षिक आवश्यकताओं का चिह्नीकरण करें एवं लिखित प्रस्ताव प्राप्त करें।
2. वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करें।
3. एसएमसी के 4 सदस्यों की एक क्रय समिति बनेगी जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त दो अभिभावक सदस्य होंगे।
4. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए।
5. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
6. उपयोग के तत्काल पश्चात या प्रत्येक तिमाही पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक / CRC/ PEEO के माध्यम से तीन प्रतियों में समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यालय को भिजवायें जिससे समय पर इसका समायोजन हो सके। राशियों का माह दिसम्बर तक उपयोग किया जाकर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिले की उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) संकलित कर संलग्न प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

## कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का निम्न मदों में व्यय नहीं किया जावे–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्राधानाध्यापक कक्ष/स्टाफ रूम फर्नीचर क्रय नहीं किया जाये)।
2. जलपान आदि पर।
3. उत्सव मनाना अथवा उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।

## ध्यान देने योग्य बिन्दुः–

1. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट से क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्ण पारदर्शिता से वित्तीय नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना करते हुये विद्यार्थी हित एवं विद्यार्थी आवश्यकता को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रखरखाव करते हुये, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
4. विद्यालय अवलोकनकर्त्ता अधिकारी अवलोकन के दौरान कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. आईटी लैब को प्राथमिकता से क्रियाशील बनाना।

## दायित्व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय :–

1. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की प्राप्त राशि को नामांकन अनुसार विद्यालयों को हस्तान्तरित करना।
2. कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
3. पीईईओ से वित्तीय वर्ष 2018–19 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बीईईओ के माध्यम से प्राप्त करना।
4. जिले का वित्तीय वर्ष 2018–19 का कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को प्रेषित करना।

**दायित्व बीईईओ कार्यालय :–**

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का विद्यालय स्तर पर छात्र हित में समस्त राशि का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करना।
2. विद्यालय स्तर पर राशि के उपयोग की मॉनीटरिंग करना।
3. ब्लॉक के समस्त पीईईओ/शहरी क्षेत्र के विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2018–19 की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय को प्रेषित करना।

**दायित्व पीईईओ कार्यालय :–**

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 की एडीपीसी कार्यालय से प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि को अधीनस्थ विद्यालयों के एसएमसी खाते में हस्तान्तरित करना।
2. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि का दिशा–निर्देशों अनुसार विद्यार्थी हित में उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना।
3. वित्तीय वर्ष 2018–19 पीईईओ विद्यालय एवं पीईईओ अधीनस्थ विद्यालयों से कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की सम्पूर्ण राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर बीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।

**दायित्व विद्यालय संस्थाप्रधान :–**

1. विद्यालय की एसडीएमसी/एसएमसी से विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण कर लिखित में प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वर्षभर की आवश्यकताओं का वित्तीय अनुमान निर्धारित करना।
2. एसडीएमसी के 4 सदस्यों की क्रय समिति बनाना। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव के अतिरिक्त 2 अभिभावक सदस्य हो तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की होना सुनिश्चित करना।
3. सामग्री क्रय कर रोकड बही स्टॉक रजिस्टर, बिल वाउचर को सुव्यवस्थित संधारित करना।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की समस्त राशि के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण–पत्र पीईईओ कार्यालय को प्रेषित करना।
5. शहरी क्षेत्र के समस्त विद्यालय सत्र 2018–19 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर) की पूर्ति कर बीईईओ कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

**विशेष :–**

1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। समयावधि में समायोजन हेतु कम्पोनेन्ट प्रभारी उत्तरदायी होंगे।

# कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट
# उपयोगिता प्रमाण–पत्र (विद्यालय स्तर)

विद्यालय का नाम ........................................................................................... यू डाईस कोड................................................
कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट प्राप्त राशि ....................... दिनांक ......................................................

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2018–19 में प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट राशि रू. ..................... का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा कर लिया है। शेष राशि (यदि कोई हो) रुपये....................का चैक संख्या................................. बैक..................................... शाखा......................................दिनांक द्वारा ........................ वापस भिजवाया जा रहा है।

| क्र. सं. | माह का नाम | बिल संख्या व दिनांक | फर्म का नाम | नाम सामग्री | मात्रा/संख्या | दर | राशि (रूपये) | उपयोग का विवरण | भण्डार पंजिका में इन्द्राज | | वि. वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | पृ.सं. | दिनांक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शाला प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव संख्या .................... दिनांक ........................ के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी के द्वारा दिनांक ..................... द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
विद्यालय प्रबंधन समिति
...................................

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
विद्यालय प्रबंधन समिति
.......................................

नोटः– बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

## कार्यालय पीईईओ.............................. ब्लॉक .................. जिला .............................
## कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (पीईईओ स्तर)
## उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2018–19 में पीईईओ ................................................ ब्लॉक .......................... जिला ............................ के ..................प्राथमिक, ........................ उच्च प्राथमिक,..........................., माध्यमिक .................. ................ एवं उच्च माध्यमिक ........................................... विद्यालयों को जारी की गई कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट की राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट हेतु परिषद् से जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्रति माह प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :–

| क्रसं | विद्यालय का नाम | डाईस कोड | विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि | प्राप्त राशि | व्यय राशि | शेष राशि | वि.वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| योग | | | | | | | |

# जिला स्तर

# कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट (स्कूल फेसिलिटी ग्रांट)

# उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2018–19 में जिला ............................ को कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट मद में प्राप्त राशि रूपये ................. में से कुल ................. प्राथमिक, कुल ...................... उच्च प्राथमिक, कुल ...................... माध्यमिक एवं कुल ...................... उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कुल .......................... राशि जारी की गई एवं ........................ राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या ................ पर समायोजन किया जा चुका है। उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

| | |
|---|---|
| हस्ताक्षर<br>सहायक परियोजना समन्वयक/ प्रभारी<br>................................. | हस्ताक्षर<br>सहायक लेखाधिकारी<br>...................................... |
| हस्ताक्षर<br>अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक<br>................................. | हस्ताक्षर<br>जिला परियोजना समन्वयक<br>................................. |

# Composite School Grant (CSG) Budget 2018-19 (In Lac)

## Elementary:

| S. NO. | DISTRICT | ENR 1_15 | Fin@0.125 (in lacs) | ENR 15_100 | Fin@0.25 (in lacs) | ENR 100_250 | Fin@0.5 (in lacs) | ENR 250_1000 | Fin@0.75 (in lacs) | Total Fin (in lacs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajmer | 55 | 6.88 | 839 | 209.75 | 428 | 214.00 | 28 | 21 | 451.63 |
| 2 | Alwar | 73 | 9.13 | 1419 | 354.75 | 553 | 276.50 | 38 | 28.5 | 668.88 |
| 3 | Banswara | 26 | 3.25 | 1956 | 489.00 | 464 | 232.00 | 64 | 48 | 772.25 |
| 4 | Baran | 32 | 4.00 | 1052 | 263.00 | 184 | 92.00 | 7 | 5.25 | 364.25 |
| 5 | Barmer | 163 | 20.38 | 3106 | 776.50 | 830 | 415.00 | 36 | 27 | 1238.88 |
| 6 | Bhartpur | 33 | 4.13 | 835 | 208.75 | 308 | 154.00 | 21 | 15.75 | 382.63 |
| 7 | Bhilwara | 94 | 11.75 | 1628 | 407.00 | 585 | 292.50 | 16 | 12 | 723.25 |
| 8 | Bikaner | 153 | 19.13 | 1129 | 282.25 | 286 | 143.00 | 36 | 27 | 471.38 |
| 9 | Bundi | 61 | 7.63 | 726 | 181.50 | 188 | 94.00 | 4 | 3 | 286.13 |
| 10 | Chittoregarh | 62 | 7.75 | 1016 | 254.00 | 330 | 165.00 | 5 | 3.75 | 430.50 |
| 11 | Churu | 71 | 8.88 | 529 | 132.25 | 292 | 146.00 | 23 | 17.25 | 304.38 |
| 12 | Dausa | 69 | 8.63 | 850 | 212.50 | 251 | 125.50 | 3 | 2.25 | 348.88 |
| 13 | Dholpur | 21 | 2.63 | 542 | 135.50 | 271 | 135.50 | 39 | 29.25 | 302.88 |
| 14 | Dungarpur | 31 | 3.88 | 1648 | 412.00 | 387 | 193.50 | 36 | 27 | 636.38 |
| 15 | Ganganagar | 211 | 26.38 | 1061 | 265.25 | 199 | 99.50 | 3 | 2.25 | 393.38 |
| 16 | Hanumangarh | 72 | 9.00 | 433 | 108.25 | 222 | 111.00 | 10 | 7.5 | 235.75 |
| 17 | Jaipur | 264 | 33.00 | 1983 | 495.75 | 455 | 227.50 | 32 | 24 | 780.25 |
| 18 | Jaisalmer | 114 | 14.25 | 738 | 184.50 | 159 | 79.50 | 3 | 2.25 | 280.50 |
| 19 | Jalor | 42 | 5.25 | 1030 | 257.50 | 421 | 210.50 | 40 | 30 | 503.25 |
| 20 | Jhalawar | 76 | 9.50 | 972 | 243.00 | 315 | 157.50 | 9 | 6.75 | 416.75 |
| 21 | Jhunjhunu | 181 | 22.63 | 771 | 192.75 | 82 | 41.00 | 5 | 3.75 | 260.13 |
| 22 | Jhodhpur | 216 | 27.00 | 2134 | 533.50 | 494 | 247.00 | 29 | 21.75 | 829.25 |
| 23 | Karauli | 62 | 7.75 | 795 | 198.75 | 209 | 104.50 | 12 | 9 | 320.00 |
| 24 | Kota | 44 | 5.50 | 544 | 136.00 | 188 | 94.00 | 7 | 5.25 | 240.75 |
| 25 | Nagaur | 168 | 21.00 | 1610 | 402.50 | 508 | 254.00 | 15 | 11.25 | 688.75 |
| 26 | Pali | 66 | 8.25 | 851 | 212.75 | 402 | 201.00 | 28 | 21 | 443.00 |
| 27 | Pratapgarh | 30 | 3.75 | 1097 | 274.25 | 253 | 126.50 | 14 | 10.5 | 415.00 |
| 28 | Rajsamand | 25 | 3.13 | 1020 | 255.00 | 347 | 173.50 | 8 | 6 | 437.63 |
| 29 | S.Madhopur | 33 | 4.13 | 560 | 140.00 | 174 | 87.00 | 2 | 1.5 | 232.63 |
| 30 | Sikar | 92 | 11.50 | 1043 | 260.75 | 202 | 101.00 | 10 | 7.5 | 380.75 |
| 31 | Sirohi | 20 | 2.50 | 510 | 127.50 | 210 | 105.00 | 19 | 14.25 | 249.25 |
| 32 | Tonk | 89 | 11.13 | 860 | 215.00 | 173 | 86.50 | 1 | 0.75 | 313.38 |
| 33 | Udaipur | 55 | 6.88 | 2720 | 680.00 | 685 | 342.50 | 70 | 52.5 | 1081.88 |
| **Total** | | **2804** | **350.50** | **38007** | **9501.75** | **11055** | **5527.50** | **673** | **504.75** | **15884.50** |

## Secondary: (Rs. in lacs)

| क्र.सं. | जिला | नामांकन 1 से 15 | राशि @0.125 | नामांकन 16 से 100 | राशि @0.25 | नामांकन 101 से 250 | राशि @0.5 | नामांकन 251 से 1000 | राशि @0.75 | नामांकन 1001 से अधिक | राशि @1.0 | कुल विद्यालयों की संख्या | कुल वित्तीय रायिा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajmer | 0 | 0.00 | 6 | 1.50 | 121 | 60.50 | 357 | 267.75 | 10 | 10 | 494 | 339.75 |
| 2 | Alwar | 0 | 0.00 | 37 | 9.25 | 297 | 148.50 | 406 | 304.5 | 3 | 3 | 743 | 465.25 |
| 3 | Banswara | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 49 | 24.50 | 363 | 272.25 | 8 | 8 | 421 | 305.00 |
| 4 | Baran | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 117 | 58.50 | 171 | 128.25 | 1 | 1 | 294 | 189.00 |
| 5 | Barmer | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 112 | 56.00 | 476 | 357 | 1 | 1 | 593 | 415.00 |
| 6 | Bhartpur | 1 | 0.125 | 12 | 3.00 | 193 | 96.50 | 314 | 235.5 | 3 | 3 | 523 | 338.125 |
| 7 | Bhilwara | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 161 | 80.50 | 372 | 279 | 6 | 6 | 544 | 366.75 |
| 8 | Bikaner | 0 | 0.00 | 7 | 1.75 | 78 | 39.00 | 294 | 220.5 | 5 | 5 | 384 | 266.25 |
| 9 | Bundi | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 91 | 45.50 | 169 | 126.75 | 2 | 2 | 264 | 174.75 |
| 10 | Chittaurgarh | 1 | 0.125 | 6 | 1.50 | 183 | 91.50 | 205 | 153.75 | 2 | 2 | 397 | 248.875 |
| 11 | Churu | 0 | 0.00 | 22 | 5.50 | 164 | 82.00 | 295 | 221.25 | 4 | 4 | 485 | 312.75 |
| 12 | Dausa | 0 | 0.00 | 6 | 1.50 | 131 | 65.50 | 220 | 165 | 3 | 3 | 360 | 235.00 |
| 13 | Dholpur | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 40 | 20.00 | 201 | 150.75 | 6 | 6 | 249 | 177.25 |
| 14 | Dungarpur | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 57 | 28.50 | 305 | 228.75 | 4 | 4 | 370 | 262.25 |
| 15 | Ganganagar | 0 | 0.00 | 19 | 4.75 | 206 | 103.00 | 225 | 168.75 | 1 | 1 | 451 | 277.50 |
| 16 | Hanumangarh | 0 | 0.00 | 6 | 1.50 | 86 | 43.00 | 241 | 180.75 | 2 | 2 | 335 | 227.25 |
| 17 | Jaipur | 1 | 0.125 | 52 | 13.00 | 393 | 196.50 | 452 | 339 | 17 | 17 | 915 | 565.625 |
| 18 | Jaisalmer | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 67 | 33.50 | 104 | 78 | 1 | 1 | 176 | 113.50 |
| 19 | Jalor | 0 | 0.00 | 3 | 0.75 | 51 | 25.50 | 295 | 221.25 | 2 | 2 | 351 | 249.50 |
| 20 | Jhalawar | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 84 | 42.00 | 225 | 168.75 | 6 | 6 | 320 | 218.00 |
| 21 | Jhunjhunu | 0 | 0.00 | 49 | 12.25 | 298 | 149.00 | 147 | 110.25 | 2 | 2 | 496 | 273.50 |
| 22 | Jhodhpur | 0 | 0.00 | 8 | 2.00 | 184 | 92.00 | 410 | 307.5 | 2 | 2 | 604 | 403.50 |
| 23 | Karauli | 0 | 0.00 | 8 | 2.00 | 107 | 53.50 | 192 | 144 | 2 | 2 | 309 | 201.50 |
| 24 | Kota | 0 | 0.00 | 6 | 1.50 | 128 | 64.00 | 166 | 124.5 | 3 | 3 | 303 | 193.00 |
| 25 | Nagaur | 0 | 0.00 | 14 | 3.50 | 300 | 150.00 | 375 | 281.25 | 1 | 1 | 690 | 435.75 |
| 26 | Pali | 0 | 0.00 | 7 | 1.75 | 185 | 92.50 | 273 | 204.75 | 3 | 3 | 468 | 302.00 |
| 27 | Pratapgarh | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 12.00 | 162 | 121.5 | 0 | 0 | 186 | 133.50 |
| 28 | Rajsamand | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 77 | 38.50 | 209 | 156.75 | 2 | 2 | 290 | 197.75 |
| 29 | S.madhopur | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 110 | 55.00 | 178 | 133.5 | 3 | 3 | 292 | 191.75 |
| 30 | Sikar | 0 | 0.00 | 30 | 7.50 | 297 | 148.50 | 254 | 190.5 | 3 | 3 | 584 | 349.50 |
| 31 | Sirohi | 0 | 0.00 | 4 | 1.00 | 36 | 18.00 | 176 | 132 | 1 | 1 | 217 | 152.00 |
| 32 | Tonk | 0 | 0.00 | 5 | 1.25 | 121 | 60.50 | 190 | 142.5 | 5 | 5 | 321 | 209.25 |
| 33 | Udaipur | 0 | 0.00 | 8 | 2.00 | 194 | 97.00 | 468 | 351 | 3 | 3 | 673 | 453.00 |
| Total | | 3 | 0.375 | 350 | 87.50 | 4742 | 2371.00 | 8890 | 6667.50 | 117 | 117 | 14102 | 9243.375 |
| **राशि अक्षरे– बानवे करोड़ तैयालिस लाख सैतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र।** | | | | | | | | | | | | | |